

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता
दाण्डिक अपील क्रमांक 614/2019

विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 814/2019

रामस्वरूप सोनीअपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्यप्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित,

प्रकरण में अनुमति दी जाती है।

धारा 326, 294 भा.द.स. एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचारों निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के तहत दंडनीय अपराध के लिये, अपीलार्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रं 2/2009 प्रस्तुत किया गया है। इसके संबंध में धारा 173(2) दं.प्र. स. के अधीन एक अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2009 को यह निवेदित करते हुये प्रस्तुत किया गया था। कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी अपराध कारित करना नहीं पाया गया था।

तत्पश्चात् प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा द्वारा सुनवाई पर लिया गया एवं 22.06.2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था।

“राज्य की ओर से ए.डी.पी.ओ उपस्थित हैं।

प्रकरण समाप्त करने के लिये आदेश हेतु नियत है।

पुलिस थाना अजाक, विदिशा द्वारा 20.06.2009 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। एवं परिवादी किशोर कुमार के प्रतिवेदन पर रामस्वरूप सोनी के विरुद्ध धारा 326, 294 भा.द.स. एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(10) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। चूँकि अन्वेषण के दौरान आरक्षी केन्द्र द्वारा पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया गया था। इस कारण खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त खात्मा रिपोर्ट के संबंध में परिवादी किशोर कुमार का कथन अभिलेखित किया गया था। परिवादी ने अपने कथन में अभिकथित किया है कि पुलिस ने जानबूझ कर अभियोग पत्र

प्रस्तुत नहीं किया है। एवं न ही सही तरीके से रिपोर्ट दर्ज की है। परिवादी ने खात्मा रिपोर्ट को स्वीकृत किये जाने पर अपनी आपत्ति अभिव्यक्त की है।

प्रकरण की डायरी का अवलोकन किया गया। अभियुक्त रामस्वरूप सोनी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त खात्मा रिपोर्ट को निरस्त करते हुये, थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र अजाक को यहाँ पर निर्देशित किया जाता है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करें।

इस आदेश की एक प्रति प्रकरण की डायरी में संलग्न की जावे एवं प्रकरण की डायरी को आरक्षी केन्द्र को वापस लौटाया जावे। शेष दस्तावेजों को एक बंडल में नस्तीबद्ध किया जावे।

यह सुस्थापित विधि है कि यदि धारा 173(2) द.प्र.स. के अन्तर्गत यह अभिकथित करते हुये अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है “
(क) वह उस रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई थी तो ऐसे मामले में कार्यवाही बंद हो जाएगी।

(ख) वह रिपोर्ट को अस्वीकार कर सकता है एवं ऐसी अंतिम रिपोर्ट जो कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसके आधार पर मामले में संज्ञान ले सकता है।

(ग) यदि वह पुलिस द्वारा किये गये इस प्रकार के अनवेषण से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रकरण में आगे अनवेषण हेतु निर्देशित कर सकता है।

आगे यह सुस्थापित विधि है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले न्यायिक विवेक को उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक के अन्तर्गत प्रयोग करना चाहिये।

वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने भा.द.स. धारा 326 और 294 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी किये हैं एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अन्तर्गत भी निर्देशित किया है ऐसा निर्देश पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः हम इस अपील को स्वीकृत करते हैं एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किये गये आदेश को अपास्त करते हैं और मामले को सी.जे.एम. विदिशा म.प्र. के पास नये सिरे से विचारण करके विधि अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करने हेतु वापस भेजते हैं।

अपील उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है ।
लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो वे भी निस्तारित हो जाएंगे ।

.....न्यायमूर्ति
उदय उमेश ललित

.....न्यायमूर्ति
इंदू मल्होत्रा

नई दिल्ली :
08 अप्रैल 2019

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाहियों का अभिलेख

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) 814/2019

(म.प्र. उच्च न्यायालय ग्वालियर के विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 5746/13 में पारित आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न ।)

रामस्वरूप सोनीअपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्यप्रतिवादी

दिनांक 08.04.2019, यह याचिका आज सुनवाई हेतु पुकारी गई ।

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ।

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री इंदू मल्होत्रा ।

याचिकाकर्ता के लिये — श्री विक्रांत सिंह वेश्य , अधिवक्ता ।

श्री योगेश तिवारी , अधिवक्ता ।

श्री संजय के. अग्रवाल, ए.ओ.आर. ।

प्रतिवादी के लिये — श्री अमित कुमार अधिवक्ता ।

श्री सचिन पहवा, अधिवक्ता ।

श्री विजय पाल सिंह, अधिवक्ता ।

श्री हर्ष पारासर, राज्य के लिये स्थाई अधिवक्ता ।

श्री अमन पांडे , अधिवक्ता ।

अधिवक्ता की दलील को सुनकर, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया ।

आदेश

प्रकरण में अनुमति दी जाती है ।

हस्ताक्षरित प्रकाशन योग्य निर्णय की शर्तों के अन्तर्गत अपील स्वीकृत की जाती है ।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो वे भी निस्तारित हो जाएंगे ।

इंदू मरवाह

कोर्ट मास्टर

सुमन जैन

शाखा अधिकारी

(हस्ताक्षरित प्रकाशन योग्य निर्णय फाईल पर रखा जाता है)

:: खंडन ::

क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिये है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिये प्रभावी माना जावेगा।